राज्य में हरति पटाखों का ही होगा वक्रिय एवं उपयोग, दीवाली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

चर्चा में क्यों?

26 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क वभिाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में केवल हरति पटाखों का उपयोग एवं वक्रिय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रसिमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लयि दो घंटे की अवधि नरि्धारति की गई है।

प्रमुख बदुि

- उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रबि्यूनल की मार्गदर्शकिा के मुताबकि पटाखों के उपयोग के संबंध में नरि्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु ज़लि प्रशासन के अधकिारयिों को नरि्देशति कयिा गया है।
- दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रसिमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लयि नरि्धारति की गई है। दीपावली के लयि रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लयि सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लयि रात 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय नरि्धारति कयिा गया है। क्रसिमस/नया वर्ष के लयि रात्रि 11 बजकर 55 मनिट से रात्रि 12 बजकर 30 मनिट का समय नरि्धारति कयिा गया है।
- शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थति को देखते हुए वायु (प्रदूषण नवािरण तथा नयिंत्रण) अधनियिम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तयिों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बलिासपुर, भलिाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दसिंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतबिंधति कयिा गया है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर, 2018 को पारति आदेश के मुताबकि पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य नरि्देश भी दयि गए हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरति पटाखों की बक्रिी केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा कयि जाने के नरि्देश दयि गए हैं।
- साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लयि बाज़ार में बेचा जा सकेगा, जनिसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर नरि्धारति सीमा के भीतर हो। सीरीज़ पटाखे अथवा लड़यिों की बक्रिी, उपयोग एवं नरि्माण प्रतबिंधति कयिा गया है।
- पटाखों के ऐसे नरि्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के नरि्देश दयि गए हैं, जनिके द्वारा पटाखों में लीथयिम, आर्सेनकि, एंटमिनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग कयिा गया है। ऑनलाइन, अर्थात ई-व्यापारकि वेबसाइटों, जैसे- फ्लपिकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बक्रिी प्रतबिंधति रहेगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/only-green-firecrackers-will-be-sold-and-used-in-the-state